न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम ,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02 ⁄ 2023

प्रार्थीगण

1. भंवरसिंह पुत्र दरगसिंह
2. हड़मतसिंह पुत्र दरगसिंह
3. राजूसिंह पुत्र दरगसिंह
4. अर्जुनसिंह पुत्र दरगसिंह
5. बलवन्तसिंह पुत्र सरूपसिंह
6. मानसिंह पुत्र सरूपसिंह जातियान राजपूत निवासी रानीवाडा खुर्द
7. अम्बादेवी पत्नि पारसाराम जाति पूरोहित निवासी रानीवाडा खुर्द
8. शंकर पुत्र देवा कौम मेगवंशी निवासी रानीवाडा खुर्द तहसी रानीवाडा

बनाम

अप्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र हकमाराम जाति मेगवंशी भाट
2. पार्वती पत्नि चन्दूलाल जाति तूरी
3. जमनादेवी पत्नि करणाराम
4. जोशना पत्नि चौपाराम
5. नर्मदा पुत्री चौपाराम
6. पता पुत्र तगा
7. रेवाराम पुत्र चौपाराम
8. राजूराम पुत्र चौपाराम
9. सणगीदेवी पत्नि चौपाराम
10. हीरालाल पुत्र चौपाराम जातियान रावल ब्रहमण निवासीयान रानीवाडा खुर्द
11. सुमराराम पुत्र सुरता जाति पूरोहित निवासी रानीवाडा खुर्द
12. अगराराम पुत्र पुराराम
13. गणेशा पुत्र देवा
14. मथूराराम पुत्र पुराराम
15. सादूलाराम पुत्र पुराराम जातियान मेगवंशी निवासीयान रानीवाडा खुर्द
16. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2, 11, 13, 14 के अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
3. अप्रार्थी संख्या 6, 10 के अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।

निर्णय

दिनांक – 22.02.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा रानीवाडा खुर्द में प्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2119 रकबा 4.32 हैक्टेयर आई हुई है। तथा प्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 2909 ⁄ 2120 रकबा 0.24 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 2127 रकबा 0.85 हैक्टेयर आई हुई है। खसरा संख्या 2127 के अन्य सहखातेदार प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु उपस्थित नहीं होने से उन्हे बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। चूंकि खसरा नम्बर 2127 में प्रार्थी संख्या 8 का ही कब्जा काश्त है, तथा उक्त आराजी आपसी बंटवाडा अनुसार अप्रार्थी सख्या 8 के बंट में आई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

हुई है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी में आवागमन का कोई रास्ता नही हैं तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी में काश्त नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी में काश्त नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण के उक्त खेतों में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ पेश किया जा रहा है, जिसमें मार्क ए से बी रास्ता 4 मीटर चौड़ा चाहा गया हैं तथा मार्क बी से सी रास्ता सरेण्डर राजहक में किया हुआ है। खसरा नम्बर 1589 का हिस्सा मार्क एक्स से वाई राजकीय रास्ता है, जहां तक प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता है। मार्क ए से डी तक खसरा नम्बर 2138 रकबा 0.11 हैक्टेयर किस्म गै.मू. रास्ता की आराजी आई हुई है। उक्त खसरा नम्बर 2138 का रास्ता खातेदारी का रास्ता है, जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी खातेदारी के रास्ते में से 4 मीटर चौडा रास्ता बिना किसी डीएलसी वैल्यु की राशि प्राप्त किये रास्ता प्रार्थीगण को देने के लिये तैयार है। खसरा नम्बर 2132, 2128, 2130 मे से प्रार्थीगण ने बताये अनुसार रास्ते अनुसार रास्ता मौके पर माठ पर मिल सकेगा क्योकि खसरा नम्बर 2131 में मार्क इ स्थान पर खातेदार के कुंआ व बोरिंग खुदा हैं, तथा खसरा नम्बर 2130 में मार्क एफ स्थान पर बोरिंग किया हुआ है, तथा खसरा नम्बर 2017 में जी स्थान पर खसरा नम्बर 2017 के खातेदार का रहवासी घर बना हुआ है। इसलिये खसरा नम्बर 2130, 2128, 2132 में कानूनन प्रार्थी द्वारा बताये नजरी नक्शा अनुसार ही रास्ता मिल सकेगा। खसरा नम्बर 2130, 2128, 2132 की खातेदारी आराजी में अप्रार्थी संख्या 3 व 8 का बराबर हिस्सा है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 11 सुमेराराम अपने द्वारा दिये जाने वाले रास्ते में से रास्ते में जाने वाली आराजी का डीएलसी रेट अनुसार प्रतिफल नही लेना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शित मार्क ए सी बी स्थान से रास्ता दिये जाने की अवस्था में कम आराजी की आवश्यकता पड़ेगी तथा प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन हेतु निकटतम दूरी से रास्ता पड़ता है। प्रार्थीगण अदालत हाजा के आदेशानुसार अप्रार्थीगण आपसी सहमति से रास्ता देने हेतु तैयार है उनके अलावा अन्य प्रभावित खातेदारों को प्रतिकर अदा करने हेतु तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की आराजी मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 2119, अप्रार्थी संख्या 7 की आराजी खसरा नम्बर 2909/2120, प्रार्थी संख्या 8 की आराजी खसरा नम्बर 2127 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 2। की आराजी खसरा नम्बर 2138, अप्रार्थी संख्या 3 व 11 की आराजी खसरा नम्बर 2128, 2130, 2132 में से प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शित मार्क ए से बी स्थान तक आवागमन हेतु 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय होने से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2, 11, 13, 14 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2157 सरहद मौजा रानीवाडा खुर्द में आई हुई है। उसमें भी आवागमन का रास्ता मौजूद नही है। अप्रार्थी संख्या 2 उक्त आराजी में आवागमन हेतु नक्शा परिशिष्ट अ में वर्णित रास्ते का उपयोग व उपभोग कर सकेगी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2, 11, 13 व 14 को भी रास्ते की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यकता होने से वे किसी भी प्रकार के प्रतिकर की मांग नहीं कर रहे है। उक्त रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना प. के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट अ अनुसार मार्क ए से बी स्थान तक आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

4. अप्रार्थी संख्या 16 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र पर जवाब मय रिपोर्ट पेश कि गई। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 2119, 2909/2120, 2127 के खातेदार है, इन खसरो में पंहुचने के लिए कोई मार्ग नही है, एवं इन्हे मार्ग के अत्याधिक आवश्यकता है। उपरोक्त खसरा नम्बर में आवागमन हेतु नजदीकतम मार्ग सरकारी रेकर्ड रास्ता खसरा नम्बर 1589 किस्म गैर मूमकिन रास्ता है। प्रार्थीगण के खसरान् हेतु प्रस्तावित रास्ता के मध्य आने वाले खसरा नम्बर 2138, 2016, 2017, 2130, 2128 व 2132 है। प्रस्तावित मार्ग में खसरा नम्बर 2138 रकबा 0. 11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2016 में 36 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई , खसरा नम्बर 2017 में 16 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 2130 में 242 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 2128 में 190 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 2132 में 2 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई, खसरा नम्बर 3051/2908 में 144 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 0.3620 हैक्टेयर है। खसरा नम्बर 2016, 2017, 2130, 2128, 2132 का कुल रकबा 0.1944 हैक्टेयर है। इनकी वर्तमान डी.एल. सी. दर 628000 रूपये प्रति हैक्टेयर है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना यथा वृक्षादि/पहाड नाडी नही है।

5. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार रानीवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ते की अति आवश्यकता होने से तहसीलदार रानीवाडा की रिपोर्ट में नजरी नक्शे अनुसार रास्ता देने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 11, 13 व 14 के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी सख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 2138 व अप्रार्थी संख्या 3 व 11 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 2130, 2128 व 2132 में से अप्रार्थी संख्या 11 सुमेराराम बिना प्रतिकर राशि के अपने हिस्से की आराजी में से प्रार्थीगण को आवागमन हेतु रास्ता देने के लिए सहमत है।

अप्रार्थी संख्या 6 व 10 के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा बहस मे निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 6 व 10 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 2016 व 2017 में अप्रार्थी संख्या 6 व 10 प्रार्थीगण को प्रतिकर राशि के भुगतान से रास्ता देने हेतु सहमत है।

6. हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी आराजी मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 2119 रकबा 4.32 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 7 की आराजी खसरा नम्बर 2909/2120 रकबा 0.24 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 8 की आराजी खसरा नम्बर 2127 रकबा 0.85 हैक्टेयर आराजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आवागमन हेतु कोई रेकॉर्डेड रास्ता नही है। जिसमें आवागमन हेतु रास्ते की अति आवश्यकता है। इसी ग्राम में खसरा नम्बर 2138 अप्रार्थी संख्या 1 व 2, खसरा नम्बर 2016, 2017 अप्रार्थी संख्या 3 से 10, खसरा नम्बर 2130, 2128 व 2132 अप्रार्थी संख्या 3 व 11 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के उक्त खसरों के आवागमन हेतू नजदीकतम मार्ग सरकारी रास्ता खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 1589 किस्म गै.मू. रास्ता है। सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 1589 में से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 2138, अप्रार्थी संख्य 3 से 10 के खसरा नम्बर 2016, 2017 व अप्रार्थी संख्या 3 व 11 के खसरा नम्बर 2130, 2128 व 2132 में से प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु रास्ता दिया जा सकता है। खसरा नम्बर 2138 रकबा 0.11 हैक्टेयर किस्म गै.मू. रास्ता पर अप्रार्थी संख्य 1 व 2 बिना प्रतिकर राशि के भुगतान किये प्रार्थीगण को रास्ता देने हेतु सहमत है। खसरा नम्बर 2016, 2016 में से अप्रार्थी संख्या 6 व 10 प्रतिकर राशि के भूगतान से व खसरा नम्बर 2130, 2128, 2132 में अप्रार्थी संख्या 11 बिना प्रतिकर राशि के भुगतान किये मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ता देने हेतु सहमत है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 11, 13, 14 के अधिवक्ता द्वारा बिना प्रतिकर राशि के रास्ता देने व अप्रार्थी संख्या 6 व 10 के अधिवक्ता द्वारा प्रतिकर राशि के भुगतान करने पर रास्ता देने की सहमति दी गई है। व सहमति स्वरूप आदेशिका में अपने हस्ताक्षर किये गए। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

7. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2119, 2909/2120, 2127 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2138, 2016, 2017, 2130, 2128 व 2132 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिसमें तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त मौका फर्द के संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 2138 का पूर्ण रकबा व खसरा नम्बर 2016, 2017, 2130, 2128, 2132 में लम्बाई क्रमश 36, 16, 242, 190, 2 मीटर व 4 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 3040 वर्गमीटर आराजी है। जो प्रार्थीगण की आराजी से जोडता है। उक्त खसरान के आगे खसरा नम्बर 1589 किस्म गै.मू. रास्ता है। उक्त खसरान की डी.एल.सी दर 628000 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 2016, 2017, 2130, 2128, 2132 की दर में वृद्धि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थी सख्या 3 से 10 के हिस्से अनुसार अदा करने हेतु प्रार्थीगण से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट से अप्रार्थी संख्या 3 से 10 के नाम जारी करवा कर पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 3 से 10 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की प्राप्ति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मूमकिन रास्ता इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—सांचौर

निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को मेरे द्वारा [illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.23 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला सांचौर